राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 913/2024

आदेश कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, कोटा।
4. चेतन मेघवाल, पटवारी, पटवार मण्डल सांगोद, जिला कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 15.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. सुरेला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, केविएटर

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्डल खजूरना तहसील कनवास, जिला कोटा अल्पावधि में किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय शर्मा बनाम राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.07.2012 (अनुलग्नक–2) द्वारा भीलवाड में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रिर्सोस परसन तहसील पीपल्दा से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 25.01.2023 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 30.01.2023 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को एक स्थान पर दो साल पूर्ण किए बिना स्थानान्तरण कर दिया गया। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 30.10.

1993 (अनुलग्नक–4) द्वारा किसी भी पटवारी को संभागीय आयुक्त की सहमति के बिना एक स्थान पर दो साल की सेवा पूरी करने से पहले स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 5939/2021 राजेश कुमार मीना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 का उद्धरण देकर ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा से पटवार मण्डल खजूरना तहसील कनवास, जिला कोटा किया है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 राजस्व मण्डल द्वारा अपीलार्थी को लोकहित में प्रशासनिक कारणों से यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय करते हुए स्थानान्तरित किया गया है। राजस्व मण्डल को दो वर्ष से कम अवधि में स्थानान्तरण करने हेतु संभागीय आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यह आदेश जिला कलक्टर के संबंध में है। इस आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है और नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां ले। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी भी तरह की अनियमितता एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is*

liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned." इस प्रकरण में समंजन का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य